संख्या-3/1725/63-व0उ0-2014-117(एच)/07 टी0सी0-।।।

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2015**

विषय:- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एकीकृत हथकरघा विकास योजना के 'विपणन प्रोत्साहन' मद में 478 समिति/संस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 के दावा के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2020/ह0क0-एकी0हथ0वि0यो0-वि0प्रो0/2014-15, दिनांक 15.12.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एकीकृत हथकरघा विकास योजना के 'विपणन प्रोत्साहन' मद में वर्ष 2011-12 के 478 समिति/संस्था के पक्ष में संलग्न सूची के अनुसार राज्यांश की धनराशि रू0 18,01,33,020.00 (रूपये अट्ठारह करोड़ एक लाख, तेंतिस हजार, बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं राज्यांश के समतुल्य केन्द्रांश की धनराशि (केन्द्रांश व राज्यांश) कुल धनराशि रू0 36,02,66,040.00 (रूपया छत्तीस करोड़, दो लाख, छाछठ हजार, चालीस मात्र) को आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की अनुमति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का करने से पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही धनराशि अवमुक्त/व्यय की जा सकेगी।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके 01 माह में शासन के सम्बन्धित विभागों को व भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि के मासिक व्यय विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में सचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर का होगा।

4- उक्त् प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-103 हथकरघा उद्योग-आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0102-राष्ट्रीयकृत हथकरघा विकास योजना-27 सब्सिडी" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी.-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1725(1)/63-व0उ0-2014-117(एच)/07टी0सी0-III, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

3- विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

5- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, समितियाँ एवं पंचायतें, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6/ वित्त (बजट) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज बहादुर

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in